



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 09 जून, 2004 ई0

ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

परिवहन विभाग

संख्या 248/परि0/2004

देहरादून, 09 जून, 2004

अधिसूचना

प0आ0-103

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली,

2004

भाग एक-सामान्य

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 2004 कहलाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. उत्तरांचल, परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली एक अधीनस्थ सेवा की प्रास्थिति सेवा नियमावली है, जिसमें समूह “ग” एवं “घ” के पद सम्मिलित हैं।
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में- परिभाषाये
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त से है;

- (ख) "परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;
- (ग) "अपर परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल से है;
- (घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;
- (च) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;
- (ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है;
- (ञ) "संभागीय परिवहन अधिकारी" का तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी से है;
- (ट) "संभागीय कार्यालय" का तात्पर्य संभागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उपसंभागीय परिवहन कार्यालय और उसी संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) कार्यालय से है। इसमें उस संभाग में पड़ने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चेकपोस्ट) भी सम्मिलित है;
- (ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा से है;
- (ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
- (ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा में सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये। इस नियमावली के लागू होने के समय सेवा में पदों की संख्या परिशिष्ट "क" में दी गयी है;

परन्तु-

क- नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

ख- राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-

पदनाम	भर्ती का स्रोत
प्रवर्तन सिपाही	(एक) संवर्ग के 66 2/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

पदनाम	भर्ती का स्रोत
	(दो) संवर्ग के 33 1/3 प्रतिशत पद विभाग के समूह "घ" के ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जो नियम 8(1) में दी गयी अर्हताओं एवं नियम 13 में दी गयी शारीरिक स्वरथता के मापदण्डों को पूरा करते हों और जो यह चाहते हों कि पद के लिये उनके मामले में विचार किया जाये।
प्रवर्तन चालक	सीधी भर्ती द्वारा।
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	स्थायी प्रवर्तन सिपाही में से पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति का मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगा। परन्तु, अन्य बातों के समान होते हुए भी भारी वाहन चलाने के लिये विधिमान्य लाइसेन्स धारकों को वरीयता दी जायेगी।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हतायें

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजावर) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है :-

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
एक	प्रवर्तन सिपाही	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
		शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और दृष्ट-पुष्ट डील-डौल का होना चाहिए।
दो	प्रवर्तन चालक	(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (दो) यथास्थिति भारी, हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्त अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानि अर्हतायें

9. (1) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जो—
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या
(तीन) भूतपूर्व सैनिक हो, या
(चार) भारी परिवहन वाहन चलाने हेतु विधिमान्य चालक लाइसेन्स धारक हो।
- (2) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन चालक के पद पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जिसने—
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,
(दो) वाहन यात्रिकी का ज्ञान हो,
(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

आयु

10. सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी वैवाहिक प्रास्थिति एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक शारीरिक स्वस्थता कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर्तन सिपाही/पर्यवेक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाएँ भी पूरी करनी चाहिए—
(एक) ऊँचाई— 160 सेंटीमीटर

(दो) सीना— बिना फुलाये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर।

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फण्डामेंटल रूल-10 के अधीन बनाए गए और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड-2 के भाग-3 में दिए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच—भर्ती प्रक्रिया

14. (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 रिक्तियों का के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों अवधारण के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।
(2) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जायेगा—
(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन द्वारा।
(दो) कार्यालय के सूचनापट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।
15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें प्रवर्तन सिपाही के निम्नलिखित होंगे :— पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष
(दो) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित दो सदस्य जो संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हों सदस्य
टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का समय-समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।
(2) सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा (स्कूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:-

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न-पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले लाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों को प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे-

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पाँच अंक

(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पाँच अंक प्रत्येक वर्ष के लिए

(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 05 प्रतिशत होंगे-

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो पाँच अंक

(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो चार अंक

(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तीन अंक

(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो दो अंक

(4) (क) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलायेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे-

(एक) विषय/सामान्य ज्ञान चार अंकों तक

(दो) व्यक्तित्व निर्धारण तीन अंकों तक

(तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता तीन अंकों तक

टिप्पणी- किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम-3 के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

- (5) उपनियम-4 के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम-3 के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।
- (6) उपनियम 5 में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी।

16. प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया
17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम-15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया
परन्तु प्रवर्तन सिपाही के सम्बन्ध में अन्य बातों के समान होते हुए भी भारी वाहन चलाने के लिए विधिमान्य लाइसेन्स धारकों को वरीयता दी जायेगी।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
- (3) चयन समिति उपनियम-2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
- (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में नियुक्ति जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियाँ करेगा। नियुक्ति
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।
19. (1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से परिवीक्षा नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

- (3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 20. किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायीकरण उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठता 21. (1) सम्पूर्ण राज्य में मुख्यालय स्तर पर ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी।
(2) सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तरांचल सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 2002 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमावली के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक रूप से या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परीक्षा अवधि में वेतन 23. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, उसके उस वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

24. किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी पक्ष समर्थन सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।
25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन
26. यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा शर्तों में शिथिलता
27. सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदधारियों को नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में स्थानान्तरित किया जा सकता है। स्थानान्तरण
28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो। व्यावृत्ति

परिशिष्ट—'क'

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	09	07	16	3050-4590
2.	प्रवर्तन चालक	18	10	28	3050-4590
3.	प्रवर्तन सिपाही	111	82	193	2750-4200
	योग	138	99	237	

आज्ञा से,

एन० एस० नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।